श्री मुकदमा इब्तदाई

खिवतर बनाम गोकुलराम

	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

दावा मु०नं० -228/17

प्रारम्भिक डिकी जारी हों। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवायें जाने हेतु तहरीर आदेश जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विभाजन प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 16.08.2018 को पेश हो।

Gm

16.8.18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय पक्षकारान उपस्थित/ ... /अन्य कार्य में व्यस्त/ मौसिम ... है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28.8.18 को पेश हो।

Vinay

28.8.18 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभयपक्षकारान उपस्थित प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1825/भू.अ./2018 दिनांक 20.8.18 के द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना रिपोर्ट मय विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुई। जो शामील पत्रावली किये गये। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 30.8.18 को पेश हो।

Gm

30.08.2018 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी ने प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव से सहमत होने बाबत अवगत कराते हुए प्राप्त प्रारम्भिक डिकी की पालना रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आज ही अन्तिम डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादी ने भी अपनी सहमति जताते हुए प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से

Gm

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner

बिरदा बनाम गोकुल राम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज मु०न० – 228/2017 देवा
	प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 24.05.2018 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई थी। जिसकी पालना रिपोर्ट तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1825/भू.अ./2018 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा प्राप्त हो चूकी है। वकील प्रतिवादी श्री जे0 पी0 गूर्जर एडवोकेट ने विधिक विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी वकील उक्त प्राप्त प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट सें सहमत है। अतः वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 1825/भू.अ./2018 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को डिक्री का भाग बनाया जाता है। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अमल दरामद कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी भॉति प्रकरण में अन्तिम डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) (श्रीमाधोपुर (सीकर) आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner